उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्याः- 16 /519/14-1-2015-300(24)/2000

लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री रश्मि कान्त शुक्ला, भा0व0से0 के दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व उन्हें उपार्जित अवकाश के दृष्टिगत देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(ए) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्याः-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुनील पाण्डेय

सचिव

<u>संख्याः- 519 (1)/14-1-2015तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रश्मि कान्त शुक्ला, भा0व0से0 (से0नि0) द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- कम्प्यूटर सहायक/सहायक समीक्षा अधिकारी, वन अनुभाग-1 को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)

उप सचिव

http://gorsanadesh.up.nic.in